P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-I* ISSUE- VIII* November- 2016
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

# भारत–पाक संबन्धों में सोवियत संघ की भूमिका (1965 ई०–1966 ई०) के विशेष सन्दर्भ में

**असमां खातून**
प्रवक्ता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
सत्यपाल सिंह महाविद्यालय,
शाहजहाँपुर

**सारांश**

1966 ई. से पूर्व हो रहे पाकिस्तानी आक्रमणों से भारत के बचाव के लिए एवं दोनों देशों के सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत शोध पत्र में दिया जा रहा है।

**मुख्य शब्द :** सो० सं०–सोवियत संघ, पाक–पाकिस्तान, मध्यस्थ–बिचौलिया, नजराना–तोहफा, खातिरदारी–आदर सत्कार।

**प्रस्तावना**

भारत–पाक सम्बन्धों की अनियमितता 1947 ई. से चली आ रही थी, परंतु इसका सबसे भयानक परिणाम 24 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान की एक ब्रिगेड सेना के द्वारा कच्छ (भारत) पर आक्रमण के रूप में आया। पाकिस्तान को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई और भारत की सीमा में छः मील तक पाकिस्तानी सेना घुस आई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के इस आक्रमण को निर्लज्जतापूर्ण पूर्व निश्चित एवं पूर्व नियोजित कार्य बतलाते हुए यह घोषित किया कि जिस समय तक भारतीय प्रदेश में विद्यमान कंजरकोट आदि भारतीय चौकियों से पाकिस्तान अपनी सेना हटाकर यथापूर्व स्थिति की स्थापना नहीं करता है उस समय तक भारत की ओर से इन प्रदेश पर अधिकार करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा युद्ध विराम का काई प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा । 10 अगस्त 1965 ई. को पाकिस्तान को सशस्त्र सेना ने कारगिल क्षेत्र के पुल पर आक्रमण कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध सियालकोट क्षेत्र में फिलोर नामक स्थान पर हुआ। 3 अक्टूबर को भारत के छोटे नैट विमनों के चालक कीलर और पठानियों ने पहली बार सेवर विमानों को नष्ट कर डाला।[1]

इधर सुरक्षा परिषद (ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, आदि देश) युद्ध विराम की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा परिषद की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव युथांट की कोशिशों के द्वारा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित जिसके द्वारा यह प्रबन्ध किया गया था कि दोनों देश बुधवार 22 सितम्बर को ग्रीनविच टाइम के अनुसार प्रातः काल 7 बजे युद्ध बन्द कर 5 अगस्त 1965 ई. से पहले की स्थिति में वापिस चले जायें तथा युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होगा। इस प्रस्ताव द्वारा राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु उपायों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार विमर्श का प्रावधान रखा था। बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए पूरा राष्ट्र एक हो गया, इस संकट की घड़ी में शास्त्री जी ने अदभुत साहस का परिचय दिया। 'जय जवान, जय किसान' का नारा चमत्कारी ढंग से देश के मनोबल को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ।1965 ई. में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया और दोनों पक्षों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी दो देशों के बीच युद्ध किसी भी पल भड़क सकता था। इसलिए दो देशों के बीच किसी मजबूत समझौते की जरूरत थी।

**उददेश्य**

भारत–पाक सम्बन्धों में सोवियत–संघ की भूमिका का अध्ययन करना। युद्ध विराम के बाद सोवियत प्रधानमंत्री[2] ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खाँ तथा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकन्द[3] में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को शुरू हुए इस समझौते पर कई दिनों बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकन्द सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए। आज भले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर का श्रेय जनरल अय्यूब खाँ तथा लाल बहादुर शास्त्री की दूरदर्शिता को दिया जाता हो लेकिन इस बात से इन्कार करना मुश्किल है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना इन दो बैरी देशों को परामर्श की मेज तक नहीं लाया जा सकता था परन्तु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है

कि शास्त्री जी और अय्यूब खाँ पर महाशक्तियों ने दबाव डाला था बल्कि इस वक्त इन महाशक्तियों के सहयोग के बिना भारत–पाक सम्बन्धों में किसी नई पहल के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। पहली बार सोवियत संघ ने भारत–पाकिस्तान के मसलों को हल करने के लिए सीधे तौर पर भाग लिया।[4]

ताशकन्द समझौते के अनुसार सहमति शर्ते इस प्रकार थी कि दोनों देश आपसी विवाद के निपटारे के लिए युद्ध का त्याग करते हैं और भविष्य में समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान दिखाते हुए सलाह का अभिलम्बन करेंगे और दोनों देश एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण भावना का प्रदर्शन करेंगे तथा पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ने वाले कोई कदम नहीं उठायेंगे। ताशकन्द समझौते से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि 1965 के बाद कम से कम कुछ समय के लिए सोवियत संघ ने भारतीय उपमहाद्वीप के मामले में इन दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच तटस्थता का रूख अपना लिया। ताशकन्द समझौते की कृपा से ही भारत–पाक सम्बन्ध पूर्वी बंगाल में ज्वालामुखी के विस्फोट तक लगभग 5–6 वर्षों तक अपेक्षाकृत तनाव रहित रह सके हालाँकि सोवियत रूस भी भारत का एशिया में करीबी पड़ोसी था लेकिन 1965 की जंग से पहले उसने कभी भारतीय मामलों में दिलचस्पी नहीं ली लेकिन 1965 की जंग में भारत शानदार विजय ने शायद उसे प्रभावित किया। जिस तरह भारतीय फौजों ने पाकिस्तान में आयातित शेरमन तथा पेटेन टैंको का सफाया किया तथा भारत की वायु सेना ने बड़ी तत्परता से जंग में भाग लिया। इससे सोवियत नेता न सिर्फ प्रभावित हुए बल्कि भारत को प्रभावित करने की योजना बना डाली और भारत–पाकिस्तान के नेताओं को अपने देश की भूमि में समझौता वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया।

**ताशकन्द घोषणा**

60 करोड़ लोंगो के हित में बहुत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले ताशकन्द समझौते के अनुबन्ध इस प्रकार से थे

1. भारत के प्रधानमंत्री[5] और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस[6] पर सहमत हुये कि दोनों ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसियों को सम्बन्ध कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र (चार्टर) के अनुसार पूरे प्रयत्न किए जायेंगे। इस घोषणा पत्र के अर्न्तगत वे अपनी इस जिम्मेदारी को फिर से स्वीकार करते हैं कि वे ताकत से काम नहीं लेंगे, और अपने विवादों को शान्तिपूर्ण तरीके से सुलझाायेंगे। वे दोनों इसे समझते है कि दोनों देशों के बीच तनाव, उनके क्षेत्र विशेषकर भारत–पाकिस्तान के भू–खण्ड की शान्ति और वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के लोगों के हित में बाधक है। इसी पृष्ठभूमि में जम्मू–कश्मीर के बारे में विचार हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी–अपनी स्थिति को स्पष्ट किया।
2. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस पर राजी हुए हैं कि दोनों देशों के सब सशस्त्र आदमी 25 फरवरी 1965 तक उन ठिकानों पर वापस लौट जायेंगे, जहाँ वे 5 अगस्त 1965 के पहले थे और दोनों पक्ष युद्ध विराम शर्तों का पालन करेंगे।
3. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों का आधार इस सिद्धान्त पर होगा कि एक–दूसरे के भीतरी मामलों में दखल नहीं दिया जायेगा।
4. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों में एक–दूसरे के विरूद्ध प्रचार को रोका जायेगा और ऐसे प्रचार को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे दोनों देशों में मित्रता का सम्बन्ध बढ़े।
5. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अपनी–अपनी जगह लौट जायेंगे। दोनों सरकारें अपने राजनीतिक व्यवहार में 1961 के वियना समझौते का पालन करेगी।
6. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच, आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सम्पर्क को फिर से कायम करने की कार्यवाही पर विचार करेंगे और भारत तथा पाकिस्तान के वर्तमान समझौते को अमल में लायेंगे।
7. भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने अधिकारियों को युद्धबन्दियों की वापसी का आदेश देंगे।
8. दोनों पक्ष, शरणार्थियों की, निष्कासिता की, गैर कानूनी बसने वालों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर बातचीत जारी रखेंगे। वे इस इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों पक्ष ऐसे हालात पैदा करेंगे, जिससे लोगों का देश से भागना बन्द हो। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों ने जिस माल व सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया है, उसके लौटने के बारे में बातचीत की जायेगी।
9. जिन मामलों का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है, उन पर विचार करने के लिए, दोनों पक्षों की सर्वोच्च और अन्य स्तरों पर बैठके होती रहेगी। दोनों पक्ष इस पर तैयार हैं कि 'भारत–पाकिस्तान संयुक्त समितियाँ' नियुक्त की जाये, जो अपनी–अपनी सरकारों को बताये कि आगे और क्या कदम उठाये जाएं।

भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के नेताओं के, सोवियत सरकार के और व्यक्तिगत रूप से सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद के अध्यक्ष के बहुत कृतज्ञ है, जिनके रचनात्मक, मित्रतापूर्ण और महान सहयोग से यह बैठक हो सकी, जिससे दोनों पक्षों के लिये सन्तोषप्रद परिणाम निकले। वे उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों को भी दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उनका इतना हार्दिक स्वागत और खातिरदारी की।

वे सोवियत रूस की मन्त्रिपरिषद के अध्यक्ष को इस घोषणा के साक्षी होने को आमन्त्रित करते हैं।[7]

10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते को लेकर राजनीतिज्ञों में मतभेद हुये किसी ने इसे व्यर्थ का दस्तावेज बताया तो किसी ने रणभूमि की जीत को चाँदी की तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को नजराना दे देने की संज्ञा दी। वास्तव में यह समझौता किसी न किसी प्रकार के दबाव का प्रतिफल था। संसद में शास्त्री जी ने वो कश्मीर की चैकपोस्ट जो भारतीय जवानों ने जान गवांकर जीती थी। पाकिस्तान को लौटाने की घोषणा की थी यह समझ से परे है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह वो पाकिस्तान को सौप दी। इस तरह सोवियत संघ की मदद से दोनों देशों नें आपस में शान्ति कायम करने में सफलता प्राप्त की।

**निष्कर्ष**

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान संकटों को हल करने के लिए ताशकन्द घोषणा–पत्र के सबक शायद ही कामयाब साबित होंगे। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सोवियत कूटनीति ने जो काम किया था, बाद के वर्षों में वैसा ही काम करना सम्भव नहीं हो पाया। तब सोवियत संघ ने सक्रियता दिखाई और ऐसा वातावरण बनाया कि वह उस संकट के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सफल हुआ। वह एक ऐसी सफलता थी जिसको फिर से दोहराये जाने की सम्भावना बहुत कम थी।

**संदर्भ ग्रंथ सूची**

1. सूरत पाण्डेयः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्ध, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 50
2. सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोसीगिन थे।
3. तत्कालीन सोवियत गणतंत्र उज्बेकिस्तान की राजधानी थी।
4. देव शर्मा : ताशकन्द (द फाइट फॉर पीस) सेन्ट्रल बुक डिपार्टमेन्ट, इलाहाबाद, पृष्ठ 134
5. लाल बहादुर शास्त्री
6. अय्यूब खाँ
7. 10 जनवरी 1966 पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खाँ और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री

**अन्य सामग्री**

1. अमर उजाला, बरेली
2. यूथ कम्पटीशन
3. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
4. टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ
5. दैनिक जागरण, बरेली
6. प्रतियोगिता दर्पण
7. आउट लुक, दिल्ली
8. नव भारत टाइम्स, दिल्ली
9. इण्डिया टुडे, नई दिल्ली
10. इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली
11. द हिन्दू, दिल्ली
12. सिविल सर्विसेज टाइम्स
13. दैनिक भास्कर, भोपाल
14. एशियन रिकार्डर
15. डॉन, लाहौर
16. एशियन रिकार्डर
17. बिजनेस एण्ड पॉलिटिकल आब्जर्वर
18. सी. एस. आर.
19. इण्डियन डिफेन्स रिव्यू
20. राष्ट्रीय सहारा
21. राजस्थान पत्रिका, जयपुर
22. नई दुनिया, दिल्ली